23-6-16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प लेकवा पर पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण के कथन वाद तामील हुए। वादी एवं प्रतिवादीगण कथन तामील प्राप्त नहीं हुआ। वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं। वादी के उपस्थित नहीं होने तथा वादी को साक्ष्य हेतु तारीख पेशी के बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है।

वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रकरण एक तरफा है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वाद पत्र में अंकित तथ्यों व दस्तावेजों पर मनन किया गया।

[signature]

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

में जारी हुए

विवादित आराजियात ग्राम लेखवा पटवार हलका लेखवा
तहसील मांडल में स्थित होकर मौजा, जमाबन्दी मय डा0
पन्ना खातोल खातेदार नाहरगढ़ के नाम दर्ज रेकार्ड है,
जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी की
नकल सम्वत 2068 से 2071 से होती है. वादीगण
द्वारा कथन खाते व कब्जे बाबत की आराजियात की
द्वारा कथन खाते व कब्जे बाबत की आराजियात की
मौका जानकारी नहीं होने से पत्थरगढ़ी कराई गयी। पत्थरगढ़ी
की जाने के पश्चात वादी के खाते व कब्जे काश्त की
आराजियात पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया।
जिसकी ताईद प्रस्तुत पर्चा मौका पत्थरगढ़ी दिनांक
25-2-12 की फोटो प्रमाणित प्रति से होती है. प्रतिवादीगण
का वादीगण की आराजी पर कब्जा होने से कब्जा
हटाने बाबत वाद पत्र प्रस्तुत कर कब्जा प्राप्त करने
हेतु प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजात
से प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि विवादित
वाद पत्र में वर्णित नम्बरो के रकबे है कि विवादित
आराजियात वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की
है जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज कब्जा
किया हुआ है। जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढ़ी के पर्चे
मौके से होती है इस प्रकार प्रतिवादीगण वादीगण की
खातेदारी पर नाजायज कब्जा किया हुआ है उसे
बेदखल कर वादीगण कब्जा प्राप्त करना चाहते है।
~~उपरोक्त~~ प्रतिवादीगण ने वाद पत्र के खण्डन में न
तो जवाबदावा प्रस्तुत किया, न ही कोई दस्तावेजी
व मौखिक साक्ष्य ही प्रस्तुत की है
उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने
वाद पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण
वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित
समझता हूँ। अतः

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
प्रदेन सहायक कलक्टर माण्डल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की ... में जा...
	:: आदेश :: वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम लेकवा पटवार हल्का लेकवा तहसील माण्डल में स्थित हाल आराजी नं० 457/2 रकबा 4 बिस्वा, 457/3 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 458/2 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा आराजी में से 1 बीघा 16 बिस्वा आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे व स्वामित्व की आराजियात में से 1 बीघा 16 बिस्वा से बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे तदनुसार डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। (देवी सिंह) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर माण्डल	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट–लेसवा तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–29 / 2013 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1–श्री मांगू पिता पन्ना खारोल, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल

2–श्री सत्यनारायण पिता पन्ना खारोल, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ––––वादीगण

बनाम

1–श्री रामेश्वर पिता अमरचन्द्र खारोल, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल

2–श्री चम्पा पिता अमरचन्द खारोल, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल

3–श्री बाबू पिता अमरचन्द्र खारोल, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल

4–श्रीमति सोसी बेवा अमरचन्द्र खारोल, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

5–राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) –––प्रतिवादीगण

–––––

वादीगण की ओर से –– एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री – एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 23.6.2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि – और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम लेंसवा पटवार हल्का लेंसवा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 457 / 2 रकबा 4 बिस्वा, 457 / 3 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 458 / 2 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, कुल किता 3 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे व खाते की आराजियात में से 1 बीघा 16 बिस्वा से बेदखलकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावें। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

जाता है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तः स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(देवीसिंह रावत)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी,
मांडल, जिला भीलवाड़ा

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

आज दिनांक 23.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी,
मांडल, जिला भीलवाड़ा

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल